देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –20119/MMP/12

E-Newsletter, Issued in Public Interest

बुधवार, 10 जुलाई 2019

बिना अनुमति आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जे.डी.ए. जिम्मेदार,आबकारी विभाग का कोई लेना-देना नहीं|जिला आबकारी अधिकारी,जयपुर शहर

अवैध निर्माण को बचाने की मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन की कोशिशों को झटका

आवासीय भूखंड संख्या 2/1-ए,गांधी पथ चित्रकूट में चल रही शहर के रसूखदार शराब ठेकेदार की शराब की दुकान पर सीलिंग की कार्यवाही टालने के लिए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन द्वारा एक नया शगूफा छेड़ा गया था,जिसके तहत मुख्य नियंत्रक,प्रवर्तन द्वारा आबकारी विभाग को पत्र लिखकर,उनसे बिना जे.डी.ए. की अनुमति के आवासीय भूखंड पर संचालित व्यवसायिक गतिविधियों(शराब की दुकान) के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा गया था|परन्तु मुख्य नियंत्रक,प्रवर्तन के इन इरादों पर पानी फेरते हुए आबकारी विभाग ने यह कह कर गेंद वापस मुख्य नियंत्रक,प्रवर्तन के पाले में डाल दी है कि आवासीय भूखंड संख्या 2/1-ए,गांधी पथ चित्रकूट पर चल रही अंग्रेजी शराब की दूकान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अनुसार स्वीकृत की गयी है,बिना जे.डी.ए. की अनुमति के आवासीय भूखंड पर चल रही (अंग्रेजी शराब की दूकान) व्यवसायिक गतिविधियों पर आबकारी विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही आबकारी नियमों के अनुसार नहीं की जा सकती है,उक्त दूकान के सम्बन्ध में नियमानुसार जो आवश्यक कार्यवाही चाही गयी है,वह जे.डी.ए. द्वारा अपने स्तर पर की जानी है|

मोटे किराए के लालच में आवासीय परिसरों में हर साल खुल जाती है सैंकड़ों दुकाने,जिससे होते है आम नागरिक परेशान|

जे.डी.ए. ज़ोन-7 में गांधी पथ,चित्रकूट सेक्टर 2 में भूखंड संख्या 1-ए में चलती शराब की दूकान

चूँकि शराब की दुकानों का अपेक्षाकृत किराया अन्य व्यवसायों की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक होता है,जो कि एक लाख से दो लाख रूपये तक तय होता है|जिसके लालच में, हर साल शहर में सैकड़ों की तादाद में आवासीय क्षेत्रों में नयी दुकाने खुल जाती है,जिस कारण एक तरफ तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है दूसरी और स्थानीय आम नागरिकों की परेशानी का सबब भी बन जाता है,क्यूंकि इन शराब की दुकानों पर आने वाले ग्राहकों से यातायात,पार्किंग,छेड़छाड़,गाली गलौच,झगडे टंटों आदि की समस्याएं बढ़ जाती है,जिससे आम नागरिकों का अमन चैन बाधित होता है|

डेढ़ महीने पहले स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री की शिकायत पर यूडीएच मंत्री ने अवैध निर्माणों पर मिलीभगत-भेदभाव पर ईओ को एपीओ कराया था, और अब...

उसी क्षेत्र से आई शिकायतों पर एसपी की मुहर, जेडीसी ने एक और ईओ को हटाया

इन्फ्रा रिपोर्टर | जयपुर

वैशाली नगर में अवैध निर्माण के मामलों में मिलीभगत और कार्रवाई के दौरान जेडीए की एनफोर्समेंट शाखा की ओर से भेदभाव के मामले रूकने का नाम नहीं ले रहे। डेढ़ महीने पहले स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की शिकायतों पर यूडीएच मंत्री ने एक ईओ को एपीओ कराया था। इसके बाद सोमवार को एक और प्रवर्तन अधिकारी (ईओ) सुरेंद्र सिंह बांगड़वा को जेडीए से बाहर का रास्ता दिखाया है। बांगड़वा पर वैशाली नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण के मामलों पर मिली शिकायत की एडिशनल एसपी रघुवीर सैनी और एसपी प्रीति जैन की तफ्तीश में गड़बड़ियां पाई गई। जेडीसी टी रविकांत के सामने रिपोर्ट रखने पर उन्होंने ईओ को जेडीए से रिलीव करने को कहा। इसके बाद सोमवार को एसपी ने **उन्हें जेडीए से कार्यमुक्त करने के आदेश निकाल दिए। बताया गया कि मामलों पर** कार्रवाई करना जरूरी था। बता दें कि सुरेंद्र के पास जेडीए में जोन 7 और 13 का काम था। इससे पहले जोन 7 के ही ईओ मुकेश सार्डिया को एपीओ किया गया था।

अवैध निर्माण • 400 से ज्यादा रिपोर्ट पेंडिंग

जेडीसी के रिव्यू के दौरान सामने आया कि एनफोर्समेंट विंग को कार्रवाई करने के लिए जोन अधिकारियों से रिपोर्ट का इंतजार है। सभी जोन में करीब 400 ऐसे मामले पेंडिंग बताए जा रहे हैं। लंबे समय से अटके मामलों पर पिछली बैठक के दौरान चर्चा हुई तो रिपोर्ट आने लगी है। अभी भी गंभीर अवैध निर्माण पर जोन की रिपोर्ट बगैर कार्रवाई अटकी हुई है। उधर जोन अधिकारियों के मुताबिक कई मामलों की स्थिति साफ होने के बावजूद रिपोर्ट मांगी जाती है, ताकि कार्रवाई टाली जा सके।

अतिरिक्त चार्ज

फिलहाल बांगड़वा की जगह जितेंद्र सिंह को जोन 7 का अतिरिक्त चार्ज (पीआरएन नॉर्थ भी) और राजीव यदुवंशी को जोन 13 (जोन 6 भी) का काम सौंपा गया है।

बीजेपी सरकार में भी तूल पकड़े वैशाली के मामले

बीजेपी सरकार में भी जोन 7 के अंतर्गत आने वाले पृथ्वीराज नगर और वैशाली नगर के मामले तूल पकड़े थे। यहां व्यावसायिक निर्माण, उनकी सीलिंग और सील खोलने के मामले सरकार तक पहुंचे थे।

▪ ईओ की शिकायतें थी, इनका एसपी स्तर पर भी एडिशनल एसपी और एसपी स्तर पर परीक्षण कराया गया। बहरहाल जेडीए से रिलीव कर दिया है।
-टी रविकांत, जेडीसी

जे.डी.ए. के चर्चित जोन 7 में स्थित है यह दूकान

जे.डी.ए. का ज़ोन 7 जे.डी.ए. के सबसे चर्चित जोनों में से एक है,क्यूंकि इस जोन में अवैध निर्माणों की भरमार है ,जिसके लिए अवैध निर्माण कर्ता द्वारा मोटी भेंट चढ़ाई जाती है|इसी कारण इस जोन में लगने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों में होड़ लगी रहती है|इस ज़ोन में हो रहे अवैध निर्माणों से परेशान होकर ही UDH मंत्री श्री शांति धारिवाल को जे.डी.ए. अफसरों की क्लास लगानी पड़ी थी,परन्तु इसका नतीजा सिफर रहा और अवैध निर्माणों का होना जारी रहा|

इस दूकान के खुलने से अब तक 3 माह में 3 प्रवर्तन अधिकारी बदल चुके है,पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही|

चालू वित्तीय वर्ष की एक अप्रेल को इस दूकान की शुरुआत हुई थी,जिसके बाद अब तक 3 प्रवर्तन अधिकारी बदल चुके है,जिनमे से मुकेश कुमार को अवैध निर्माणों के चलते UDH मंत्री शांतिधारिवाल और ग्रामीण मंत्री लालचंद कटारिया के कोपभाजन का शिकार होना पडा जिसके चलते उन्हें दुसरे ज़ोन में लगाया गया जबकि उनके बाद आये सुरेन्द्र सिंह बांगड़वा को अवैध निर्माणों के लिए दोषी मानते हुए जे.डी.ए. से ही हटा दिया गया|अब इस ज़ोन की जिम्मेदारी जितेन्द्र सिंह को दी गयी है,जिनसे इस दूकान पर कार्यवाही के सिलसिले में बात करने पर विधिअनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया है|

समान कार्यवाही के चलते,आवासीय भूखंड S-4,श्याम नगर,अजमेर रोड पर पर चल रहे हुंडई कार के शोरूम पर, कार्यवाही के लिए,हुंडई कम्पनी को क्यों नहीं लिखा पत्र?

जे.डी.ए. क्षेत्र में किसी भी अवैध निर्माण,अतिक्रमण,बिना अनुमति आवासीय परिसरों में सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करना प्रवर्तन विभाग की जिम्मेदारी है फिर चाहे अवैध निर्माणकर्ता कोई आम आदमी,रसूखदार या कोई सरकारी विभाग ही क्यों ना हो,कानून की नजर में सब एक है|यदि मुख्य नियंत्रक,प्रवर्तन महोदय को एक समान कार्यवाही करनी है तो एक अन्य मामले में भूखंड संख्या S-4,अजमेर रोड,श्याम नगर जहाँ पर हुंडई कार का बड़ा शोरूम संचालित है,पर कार्यवाही के लिए हुंडई कम्पनी को क्यों नहीं लिखा गया?क्यों हुंडई मामले में उनकी राय सील करने हेतु श्रेयकर थी,जबकि शराब की दूकान मामले में आबकारी विभाग को कार्यवाही करने की राय श्रेयकर हो गयी?

S-4,श्याम नागर,अजमेर रोड स्थित आवासीय भूखंड पर चलता हुंडई कार का शोरूम

पैरा 1 से 9 के अनुसार, भूखंड संख्या S-4, श्याम नगर पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित है। अपीलीय प्राधिकरण, ज.वि.प्रा. में इससे संबंधित अपील में आगामी तारीख पेशी 28.2.2019 है। अब तक की गई कार्यवाहियों ; विधिक स्थितियों की समग्र दृष्टि से इस आवासीय भूखंड पर

P.T.O.

E.O.S / भू.सं. S-4 / श्याम नगर / अजमेर रोड

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने हेतु नियमानुसार "सील" किया जाना श्रेयस्कर रहेगा; आदेशार्थ अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली सादर प्रेषित है।

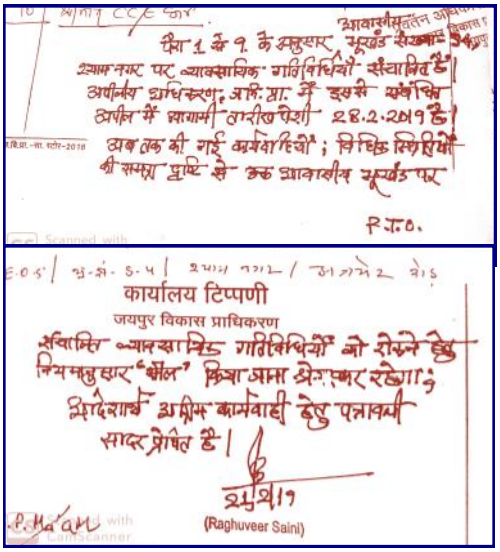

(Raghuveer Saini)

आवासीय भूखंड संख्या S-4 पर चल रहे हुंडई के शोरूम को सील करने के लिए लिखी गयी मुख्य नियंत्रक की राय

जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ एक साल की सजा का प्रावधान

(14) Whoever, being an employee of the Authority, specifically entrusted with duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to [one year or with fine which may extend to five thousand rupees] or with both;

Scanned with

जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों में जानबूझ कर,टालने के उद्देश्य से,लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ एक साल की सजा या पांच हजार के जुर्माने का प्रावधान है,अब देखना यह है कि इस दूकान पर कार्यवाही में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार कौन है?

हें रघुवीर अब तो करो न्याय???

आबकारी विभाग के इस पत्र के आने के बाद,इस अवैध दूकान पर कार्यवाही की जिम्मेदारी पुनः मुख्य नियंत्रक,प्रवर्तन श्री रघुवीर प्रसाद सैनी के कन्धों पर आ गयी है,देखना यह है कि आबकारी विभाग के इस पत्र के आने के बाद वह नियमानुसार इस अवैध दूकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू करते है या आबकारी या किसी अन्य विभाग को नयी चिट्ठी भेजने की जुगत?

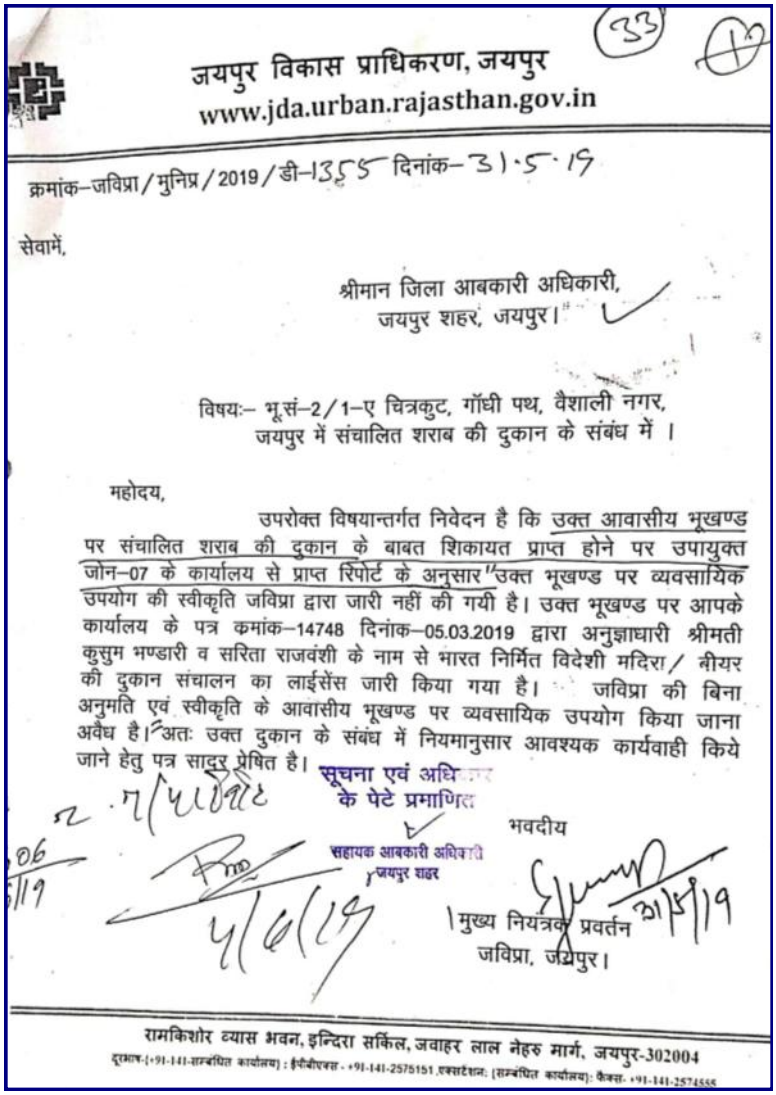

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/मुनिप्र/2019/डी–1355 दिनांक–31.5.19

सेवामें,

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर, जयपुर।

विषयः– भू.सं–2/1–ए चित्रकुट, गॉधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर में संचालित शराब की दुकान के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त आवासीय भूखण्ड पर संचालित शराब की दुकान के बाबत शिकायत प्राप्त होने पर उपायुक्त जोन–07 के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग की स्वीकृति जविप्रा द्वारा जारी नहीं की गयी है। उक्त भूखण्ड पर आपके कार्यालय के पत्र कमांक–14748 दिनांक–05.03.2019 द्वारा अनुज्ञाधारी श्रीमती कुसुम भण्डारी व सरिता राजवंशी के नाम से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/ बीयर की दुकान संचालन का लाईसेंस जारी किया गया है। जविप्रा की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना अवैध है।अतः उक्त दुकान के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र सादर प्रेषित है।

सूचना एवं अधिकार के पेटे प्रमाणित

भवदीय

सहायक आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन द्वारा आबकारी विभाग को “ जे.डी.ए.की बिना अनुमति के आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक उपयोग के चलते अवैध बनी दूकान पर कार्यवाही के लिए लिखा गया पत्र

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

क्रमांकः–आब / परिवाद / 2019–20 / दिनांकः–

मुख्य नियन्त्रक प्रवर्तन,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विषयः–भूखण्ड संख्या 2 / 1–ए, चित्रकूट, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर में संचालित शराब की दुकान के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–आपका पत्र क्रमांक जविप्रा / मुनिप्र / 2019 / डी–1355 दिनांक 31.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपने अपने पत्र दिनांक 31.05.2019 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि भूखण्ड संख्या 2 / 1–ए, सैक्टर 2, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर, जयपुर पर उपायुक्त जोन 7 के कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायिक उपयोग की स्वीकृति जेडीए द्वारा जारी नहीं की गई है तथा जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना अवैध है। आप द्वारा उक्त दुकान के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी अनुरोध किया गया हें परन्तु आपने अपने पत्र के साथ अनुज्ञाधारी / भूखण्ड मालिक को इस आशय के क्रम में जेडीए के नियमों के अनुसार जारी किसी भी नोटिस / सूचना की प्रतिलिपी संलग्न नहीं की है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि आपके पत्र में अंकित स्थल जोन नं. 6, अनुज्ञाधारी मैसर्स कुसुम भण्डारी सरिता राजवंशी, 2 / 1–ए, सैक्टर 2, चित्रकूट योजना, वैशाली नगर, जयपुर का है। यह दुकान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अनुसार स्वीकृत की गई है। जेडीए की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के आवासीय भूखण्ड पर व्यवसायिक उपयोग करने के सम्बन्ध में आबकारी विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही आबकारी नियमानुसार नहीं की जा सकती है। आप द्वारा उक्त दुकान के सम्बन्ध में नियमानुसार जो आवश्यक कार्यवाही चाही गई है, वह जेडीए द्वारा अपने स्तर पर की जानी है।

सूचना ... के पेटे ...

सहायक आबकारी अधिकारी
४ जयपुर शहर

भवदीया,
SD/-
(रेखा माथुर)
जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

क्रमांकः–आब / परिवाद / 2019–20 / 140
दिनांकः– 5-7-2019

प्रतिलिपी सूचना के अधि... शाखा, जिला कार्यालय को उनके पत्र क्रमांक 3320 ... आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जाती है।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध बनी दूकान पर जे.डी.ए. को उसके स्तर पर कार्यवाही करने के लिए लिखा गया पत्र

जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

d:\mv files 2019-20 inder\pariwad 2019-20 from march. 2019 (autosaved).docx 31

Scanned with